समाचार

कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर 36900 रू. अर्थदण्ड

(मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन एवं निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलने पर कार्यवाही लगातार जारी)

कोरबा 11 अप्रैल 2021 —मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर निगम की कार्यवाही निरंतर आज भी जारी रही, आज निगम अमले ने 36900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे घर से निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोरोना प्रोटोकाल को न तोड़े।

कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, अन्य सभी एहतियाती कदमों के साथ—साथ घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने तथा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने पर विशेष बल दिया जा रहा है, वहीं प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त श्री एस.जयवर्धन के दिशा निर्देशन में नगर निगम के सभी 08 जोन में निगम अमले द्वारा निरंतर इन पर कड़ी नजर रखते हुए अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। आज भी यह कार्यवाही जारी रही तथा निगम के सभी जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन व कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर 36900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इस दौरान राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत में 11900 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 13000 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1700 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 6500 रूपये, बांकीमांगरा जोनांतर्गत 1000 रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 800 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

<u>निर्धारित समय बाद दुकान खुली रखने पर लगा अर्थदण्ड–</u> निगम के आठों जोन में स्थित दुकानें आज निर्धारित समय पर बंद कराई गई। जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में निगम का जोन अमला दुकानों, बाजारों को समय पर बंद कराने में जुटा रहा तथा दुकानें समय पर बंद हुई। वहीं कोरबा जोन, बालको जोन व टी.पी. नगर जोन के अंतर्गत कुछ दुकानें निर्धारित समय के पश्चात भी खुली रखी गई थी, निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर इन दुकान संचालकों पर अर्थदण्ड आरोपित किया तथा दुकानों को बंद कराया।